



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,

Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक- 2742/12-1 : देहरादून: दिनांक:

17 मई, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय- जनपद-उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ के खाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/15527/2015)

संदर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8बी/यू. सी.पी. /06/09/2017/एफ.सी/437., दिनांक-29.07.2021।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसकी सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र सं0-2206/12-1, दिनांक-26.04.2025 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र दिनांक-24.12.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :-

क्र0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगतनीय है कि उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता विभाग द्वारा किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3 (क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.322 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम डांग खसरा संख्या- 1532, 1533 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगतनीय है कि इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरवानिकी भूमि ग्राम डांग सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण क्षे0 3.322 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू0 11,31,251.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या- 150896115527745 Union Bank of india Lodhi Complex Branch, block 11 CGO Complex, Phese-1 Lodhi road New Delhi 110003 के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छायाप्रति संलग्न-01)
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0, 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वाभित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राजस्व विभाग के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है। (खतौनी की नकल संलग्न है।)(संलग्नक-02) भारतीय वन अधिनियम, 1927 धारा-29 के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी कार्यालय के पत्र- 2740/12-1, दिनांक- 19.02.2025 द्वारा अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर वन संरक्षक भागीरथी वृत्त को प्रेषित किया गया है। शासन द्वारा आरक्षित/संरक्षित वन की अधिसूचना घोषित होने पर

		पृथक से उपलब्ध करा दी जायेगी। (संलग्नक-03)
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।(संलग्नक-04)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक असुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 10,01925.00 एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्न -01 के अनुसार)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक- 30.10.2022, 01.08.2003, 24.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक- 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक- 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक- 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.525 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य दसूल करेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 3.322 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत रू0 21,33176.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या- 150896115527745 Union Bank of india Lodhi Complex Branch, block 11 CGO Complex, Phese-1 Lodhi road New Delhi 110003 के खाते में जमा करा दी गयी है। (संलग्न -01 के अनुसार)
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि,यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो,को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक-5)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 75 वृक्ष एवं 4 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	राज्य सरकार खाण्ड गांव की Village Level Committee Proceeding इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) द्वारा चालान तैयार कर रू0 21,33176.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या- 150896115527745 Union Bank of india Lodhi Complex Branch, block 11 CGO Complex, Phese-1 Lodhi road New Delhi 110003 के खाते में जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-01 के अनुसार)
9	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी साथ ही	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक-06)
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-07)
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-08)
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृत यदि लागू ही प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-09)
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-10)
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-11)
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-12)
17	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward Bearing अंकित हो।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-13)
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-14)
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-15)
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-16)
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-17)
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-18)



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

Phone & Fax no. 0135-2431159

उत्तराखण्ड वन विभाग हैल्पलाईन न०-1926 (टोल फ्री)
E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं०: 2206/12-1

मुनिकीरेती,

दिनांक

26 / 04 / 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी में चिन्चालीसौड़ के छाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के 1.525 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र दिनांक 22.02.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक-08बी/यू०सी०पी०/06/09/2017/एफ०सी०/437, दिनांक 29.07.2021 के द्वारा प्रश्नगत परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसमें अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग के द्वारा अपने पत्रांक-2118/12-1, दिनांक 24.12.2024 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त का अवलोकन करने के उपरांत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या मूल में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)

वन संरक्षक

26/04/2025

संख्या:-

/

दिनांकित

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक

भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

अधर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, मुनि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड

देहरादून

पत्रांक सं०

6785

पत्रावली

12-1

दिनांक

29-04-25

पु० को सं० 12-1
29/4/25



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E-Mail: dfonttarkashid@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक-2118 / 12-1, कोटबंगला, दिनांक 24/12/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती,
उत्तराखण्ड।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में चिन्वालीसौड़ के खण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के 1.525 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्वालीसौड़, उत्तरकाशी का कार्यालय पत्रांक- 1545/3 एल०ए०, दिनांक- 18.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से याचक विभाग द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक- 22.02.2024 में इंगित कमियों की बिन्दुवार निराकरण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जो निम्नवत है-

क्र०सं०	आपत्ति	आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता विभाग द्वारा किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3 (क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.322 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम डांग खसरा संख्या- 1532, 1533 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरवानिकी भूमि ग्राम डांग सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण क्षेत्र 3.322 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 11,31251.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या- 150896115527745 Union Bank of India Lodhi Complex Branch, block 11 CGO Complex, Phese-1 Lodhi road New Delhi 110003 के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छायाप्रति संलग्न)
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ०सी०ए०, 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राजस्व विभाग के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है। (खतौनी की नकल संलग्न है।) भारतीय वन अधिनियम, 1927 धारा-29 के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र- 2740/12-1, दिनांक- 19.02.2025 द्वारा अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर वन संरक्षक भागीरथी वृत्त को प्रेषित किया गया है। प्रति संलग्न/ शासन द्वारा आरक्षित/संरक्षित वन की अधिसूचना घोषित होने पर पृथक से उपलब्ध करा दी जायेगी।
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक असुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रु० 10,01925.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्न चालान, ऑनलाईन चेक, आई०)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक- 30.10.2022, 01.08.2003, 24.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक- 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक- 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक- 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.525 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 3.322 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत रु० 21,33176.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या- 150896115527745 Union Bank of India Lodhi Complex Branch, block 11 CGO Complex, Phese-1 Lodhi road New Delhi 110003 के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छायाप्रति संलग्न)

D:\Draft\Man Letter\Letter.docx

(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 75 वृक्ष एवं 4 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	राज्य सरकार खाण्ड गांव की Village Level Committee Proceeding इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) द्वारा चालान तैयार कर रु0 21,33,176.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या- 150896115527745 Union Bank of India Lodhi Complex Branch, block 11 CGO Complex, Phese-1 Lodhi road New Delhi 110003 के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा पर्ची संलग्न)
9	गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृत यदि लागू ही प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward Bearing अंकित हो।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

17	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward Bearing अंकित हो।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) अपर अपलोड होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

4885
12-1
25/4/25

भवदीय,
(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 2118 /12-1 तददिनांकित। उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुपालन आख्या को ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

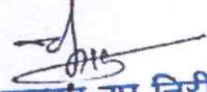
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

परियोजना का नाम - जनपद उत्तरकाशी में चिन्वालीसौड़ के खाण्ड गांव से रौतल मीटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे० वन भूमि में कार्बनिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड वन विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में,

प्रमाण पत्र

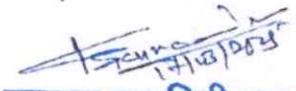
प्रमाणित किया जाता है कि चिन्वालीसौड़ के खाण्ड गांव से रौतल मीटर मार्ग परियोजना के सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त योजना के तहत धरामु रैंज के अन्तर्गत ग्राम अंग के सिविल भूमि खसरा सं० 1532 रक्बा 1.983 हे० व खसरा सं० 1533 रक्बा 1.339 हे० कुल रक्बा 3.322 हे० भूमि क्षेत्र चयनित किया गया है। उक्त चयनित क्षेत्र में पूर्व में किसी योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया गया है। और न ही प्रस्तावित है। चयनित क्षेत्र में विपरीत परियोजना के तहत ही क्षतिपूर्क वृक्षारोपण किया जायेगा।


राजेश उप निरीक्षक
क्षेत्र.....गोपला.....
तहसील.....इ.....


वन क्षेत्राधिकारी
धरामु वनराजि

-संक्षेप-

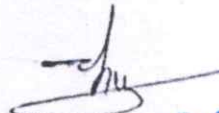
प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन विभाग उत्तरकाशी के आदेशों के अनुपालन में ग्राह-डांग तह-उन्हा पर्व-भण्डारण-की जो ग्राह खसरा संख्या 1532 खसरा 1983 एवं खसरा संख्या 1533 खसरा 3322 हैं वन विभाग के नाइंशरी प्रत्यक्ष वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की गई हैं, वन विभाग के कमिश्नरियों के द्वारा मिलकर उपरोक्त ग्राह का संयुक्त निरीक्षण किया गया। वर्तित ग्राह-पर्व में ही वन विभाग के नाइंशरी 1720 खसरा 1720 में बंदि हैं जिसकी पुलिस विभाग को उपलब्ध करा दी गई है निरीक्षण में उल्लेखित खसरा नंबरों को ग्राह पर विभाग के प्रतिनिधियों को ग्राह पर बंदि दिया गया है जिस पर बंदि बिना किसी रीज रोक के वृक्षारोपण कार्य कर सकते हैं।

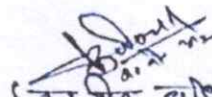

राजेश उप निरीक्षक
क्षेत्र.....
तहसील.....

सिविल सौयम भूमि का क्षतिपूर्क वृद्धारोपण हेतु वन विभाग के नाम कब्जा प्रमाण पत्र

परिगणना का नाम- जंगम उतरकाशी में चिन्मालीसोड़ के खण्ड गांव से सेंटल गीटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे० वन भूमि में कानूनी कार्यों हेतु उत्तरखण्ड वन विभाग को प्रत्यावर्तन के समन्वय में।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषयक गीटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बदले दौंगे क्षेत्रफल 3.322 हे० सिविल सौयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृद्धारोपण हेतु जिलाधिकारी उतरकाशी के आदेश सं० - 1346/ ग्यारह-विधि (2013-20) दिनांक 31.12.2022 के द्वारा उत्तरखण्ड सरकार के स्वामित्व Non Z.A ग्राम डोंग में दर्ज खसरा नं० 1532 रक्बा 1.983 हे० एवं खसरा सं० 1533 रक्बा 1.339 हे० कुल रक्बा 3.322 हे० भूमि को वन विभाग उत्तरखण्ड के नाम हस्तांतरण किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा हस्तांतरण/नामांतरण की गई सिविल भूमि का सीमांकन कर वन विभाग के कब्जे में कर लिया गया है।


राजारज उप निरीक्षक
क्षेत्र.....कोपला.....
तहसील.....इ.पु.....


(वन बीट अधिकारी)
(नगर बीट)


(प्रमुख अधिकारी)
(मुलेसामुदाय)


वन बोत्राधिकारी
बरासु वनराजि

मूलोद्यम मन्त्रालय सं. ५-११

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										राजस्व उप निरीक्षक																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

सेवा में:

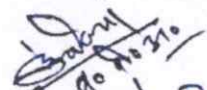
श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी महोदय,
धारु वन राजि वन प्रभाग
कोर वंगला उत्तरकाशी

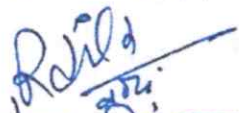
विषय: उपपुस्त प्रमाणपत्र

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन किया है कि जनपद उत्तरकाशी के खाण्ड गांव से रौनल मोर नदी के 1.525 हे० वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु क्षतिग्रस्त वृक्षावपण हेतु ग्राम डेरा लखोल डुंडा पट्टी प्रणालियों की जमींदारी विनास खसरा संख्या 1532 (ख) 1.983 एवं खसरा संख्या 1533 (ख) 1.339 हे० कुल 3.322 हे० भूमि इस वन प्रभाग के नाम नामित दस्तावेजित / नामान्वित की गयी है, जिसका स्थानीय निरीक्षण राजस्व उप निरीक्षक गेवला के साथ समुक्त निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान उपरोक्त भूमि वनीकृत हेतु उपपुस्त जारी की गयी है।

अतः उपपुस्त प्रमाण पत्र उचित कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।


(राजेश्वरी)
वन सहाय
नगल वीर


(राजेश्वरी सिंह)
आ.आ.सु.गोला
धारु वन राजि

[illegible]

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार आई०आर०सी० मापदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रारूप 30.3

ना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के खण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4.75 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.525 हे० आरक्षित वन भूमि व नाप भूमि 2.3625 हे० भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत रौतल
तहसील चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खण्ड गांव से रौतल परियोजना के निर्माण हेतु (1.525 हे०) आरक्षित वन भूमि, ~~-----~~ हे० सिविल सोयम भूमि ~~-----~~ हे०, वन पंचायत भूमि ~~-----~~ हे० अर्थात् कुल 1.525 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

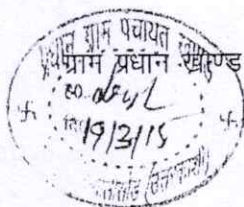
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौतल द्वारा दिनांक 16/3/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम

रौतल गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

16-3-15
ग्राम पंचायत-सचिव



16-3-15
ग्राम प्रधान रौतल

प्रारूप-30.4

दिनांक 16/3/15 को ग्राम सभा की सम्मन्वित बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत श्रीरतन

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के
खण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चन्द्रभाषि विमलवाण S/o महावीर विमलवाण	Chandra
2	रामेश S/o पारसनाथ विमलवाण	Ramesh
3	शान्तिराम S/o कमला	Shanti
4	रामजी S/o कमला प्रसाद	Ramji
5	कलिराम S/o जगदीश	Kaliram
6	गोबरधन S/o जगदीश	Gobardhan
7	मोताराम S/o कलिराम	Motaram
8	कन्हैया S/o अवधनन्द	Kanhaya
9	गुणानन्द S/o रामेश्वर	Gunanand
10	रामकृष्ण S/o पुरुषोत्तम	Ramkrishna
11	श्यामजी प्रसाद S/o रामेश्वर	Shyamji
12	रामेश S/o सुन्दर लाल	Ramesh
13	गयाप्रसाद S/o त्रद्विपिय	Gyaprasad
14	महिमानन्द S/o त्रद्विपिय	Mahimanand
15	सुरजीवर S/o जगदीश	Surajivar
16	कुलाश S/o साठयानन्द	Kulash
17	सुर्माभाषि S/o इन्द्रदेव	Surma
18	लीलानन्द S/o विद्यासागर	Lilannand
19	पुनानन्द नौलिमाल S/o स्व. राजेन्द्र	Punanand
20	रामाराम विलवाण S/o स्व. श्री जगदीश	Ramaram
21	प्रकाश विमलवाण S/o भूतेश्वर	Prakash
22	कमल S/o लक्ष्मीकान्त अहिर	Kamal
23	विमोद नौलिमाल S/o पुनानन्द	Vimod
24	गंगाराम S/o स्व. कुलानन्द मिश्रा	Gangaram
25	शक्रेण मिश्रा S/o धनीराम	Shakrean
26	रामभाषा नौलिमाल S/o उकाश	Ramabhasha
27	मुनील नौलिमाल S/o रामचन्द्र हर्षभाषि	Munil
28	सुभाष नौलिमाल S/o रामचन्द्र	Subhash
29	अरवेण नौलिमाल S/o प्रकाश	Araveen
30	मुगरी नौलिमाल S/o जगदीश	Mugari

54/15
ग्राम प्रधान

(2)

प्रारूप-30.4

दिनांक 16/3/11 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत रौतल

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकारा खण्ड चिन्यालीसौड के
खण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
31	गोरी शंकर S/O श्री मधुनी	गोरी शंकर
32	परस जाय S/O श्री मधुनी	परस जाय
33	विशाल मधुनी S/O मधुनी	विशाल मधुनी
34	हर्षिभण्डारी S/O लक्ष्मी प्रसाद	हर्षिभण्डारी
35	मोहन देव S/O जगदीश	मोहन देव
36	श्याम लाल S/O उमर नंद	श्याम लाल
37	किरी राम S/O रमेश्वर	किरी राम
38	नय कृष्ण S/O पुरवोत्तम	नय कृष्ण
39	रामनरेश S/O लक्ष्मी नौदियाल	रामनरेश
40	शरण नंद S/O गोविंद राम	शरण नंद
41	लक्ष्मी नौदियाल S/O राम	लक्ष्मी नौदियाल
42	चिन्तामण S/O अजय देव	चिन्तामण
43	नौदियाल S/O विद्या सागर	नौदियाल
44	विद्या सागर S/O रमेश्वर	विद्या सागर
45	विनय S/O रमेश्वर	विनय
46	मुरारी S/O विनय देव	मुरारी
47	लोदी प्रसाद S/O लक्ष्मी नंद	लोदी प्रसाद
48	परमेश्वर नौदियाल S/O कुशी नंद	परमेश्वर नौदियाल
49	लक्ष्मी प्रसाद S/O स्व श्री बुलनंद मिश्रा	लक्ष्मी प्रसाद
50	गणेश मिश्रा S/O स्व श्री श्री राम	गणेश मिश्रा
51	धनमन नौदियाल S/O स्व श्री बुलनंद मिश्रा	धनमन नौदियाल
52	विश्व नौदियाल S/O स्व श्री प्रकाश	विश्व नौदियाल
53	हर्षिभण्डारी नौदियाल S/O लक्ष्मी नौदियाल	हर्षिभण्डारी
54	गोपाल बिज्जनात S/O मायाराम	गोपाल बिज्जनात
55	शमीनंद बिज्जनात S/O नंदी राम	शमीनंद बिज्जनात
56	हर्षिभण्डारी नौदियाल S/O स्व श्री रमेश्वर नौदियाल	हर्षिभण्डारी
57	कुशी नौदियाल S/O स्व श्री रमेश्वर नौदियाल	कुशी नौदियाल
58	श्याम नौदियाल S/O कुशी राम	श्याम नौदियाल
59	नारायण S/O स्व लाल प्रसाद बिज्जनात	नारायण
60	अनंद राम बिज्जनात S/O स्व श्री केशव	अनंद राम

प्रारूप-30.4

दिनांक 16/12/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत रौतल

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड के
खण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
61	तिरेन्द्र प्रसाद S/O लक्ष्मी चान्त धाट्ट	तिरेन्द्र
62	विजय S/O स्तं राधिका	विजय
63	विजय मण्डी S/O मायाराम	विजय
64	पूषा जदं विजयबाग S/O लक्ष्मी राम	पूषा जदं
65	आशीष विजयबाग S/O हर्षा विजयबाग	आशीष
66	सुनील राम नौदियाल S/O स्तं राधिका	सुनील राम
67	संजय विजयबाग S/O कान्त प्रसाद	संजय
68	राम विजय विजयबाग S/O जयशंकर विजयबाग	राम विजय
69	रामजी विजयबाग S/O सुशी केदार	रामजी विजय
70	शशीश्वरी देवी S/O स्तं श्री केदार	शशीश्वरी
71	सुनीता देवी S/O उषस राम	सुनीता देवी
72	संध्या देवी S/O लक्ष्मी राम	संध्या देवी
73	मुकुटी देवी S/O विजय मण्डी	मुकुटी देवी
74	विजय देवी S/O सुनील राम नौदियाल	विजय देवी
75	सुनील मण्डी नौदियाल S/O लक्ष्मी नौदियाल	सुनील मण्डी
76	शुभाष नौदियाल S/O सुनील राम नौदियाल	शुभाष
77	शैल देवी S/O पूषा जदं नौदियाल	शैल देवी
78	शकुन्ती देवी S/O विद्या राम	शकुन्ती देवी
79	सुनीता देवी S/O विजय नौदियाल	सुनीता देवी
80	शैल देवी S/O लक्ष्मी नौदियाल	शैल देवी
81	मदनमोहन S/O हरि नौदियाल	मदनमोहन
82	गणेश विजयबाग S/O राम शंकर	गणेश
83	विनोद नौदियाल S/O	विनोद
84	रामदेव S/O लखीराम नौदियाल	रामदेव
85	सुन्दरलाल	सुन्दरलाल
86	शिवानन्द विमल बाग	शिवानन्द
87	भाषाड़ी देवी	भाषाड़ी
88	अशोक राम	अशोक
89	जिलाद रंगल S/O नौदियाल	जिलाद
90	तिलकमणी	तिलकमणी

प्रारूप-30.4

दिनांक 16/12/2011 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत रौतल

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के
खण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
91	केशमानन्द S/O रामदेव	केशमानन्द
92	दिनेश S/O रामशंकर	दिनेश
93	गोबालाल S/O पितारु लाल	गोबालाल
94	सुरेश S/O रामशंकर	सुरेश
95	पारवती देवी W/O शम्भु प्रसाद बिजलवाग	पारवती देवी
96	आरवा देवी W/O अन्नदेव	आरवा देवी
97	उमादेवी W/O प्रभापति	उमादेवी
98	कस्तूरी लाल S/O मंगलू लाल	कस्तूरी लाल
99	पुरुष लाल S/O लख राकिमा लाल	पुरुष लाल
100	अम्मा देवी W/O पितारु लाल	अम्मा देवी
101	बुद्धीलाल S/O चैतू लाल	बुद्धीलाल
102	चैतू लाल S/O महिषालाल	चैतू लाल
103	शुनी नौतिमाल S/O लाखी राग नौतिमाल	शुनी
104	रामजी नौतिमाल S/O लाखी राग	रामजी
105	अरवानन्द S/O गीतासुख बिजलवाग	अरवानन्द
106	विठ्ठल बिजलवाग S/O बशीराग	विठ्ठल
107	मगदीश बिजलवाग	मगदीश
108	ब्रह्मा S/O बशी	ब्रह्मा
109	लानी देवी W/O मदन मोहन	लानी देवी
110	जगतमा देवी W/O हरिप्रसाद नौतिमाल	जगतमा देवी
111	लक्ष्मी देवी W/O सप्रमणी नौतिमाल	लक्ष्मी देवी
112	सुरजमणी मिश्रा S/O पितारु	सुरजमणी
113	पूजानन्द नौतिमाल	पूजानन्द
114	गन्दाराम मिश्रा S/O एवं महिमानन्द	गन्दाराम
115	पूजानन्द शर्मा	पूजानन्द
116	लालाराम मिश्रा S/O एवं श्री महिला	लालाराम
117	विश्वनाथ लाल बिजलवाग S/O एवं हरिमणि	विश्वनाथ लाल
118	मोनी शर्मा S/O पूजानन्द	मोनी शर्मा
119	बाबूचरण गिरी S/O विमानन्द	बाबूचरण
120	मोनी शर्मा S/O पूजानन्द	मोनी शर्मा

24

ग्राम प्रधान

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के खण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4.75 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.525 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्यालीसौड़

उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खाण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (1.525 हे०) आरक्षित वन भूमि, ~~1~~ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ~~1~~ हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल (1.525 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्यालीसौड़) की दिनांक 12/6/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री बी० एन० शुक्ला उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उप जिलाधिकारी

- 1- श्री बी०एन० शुक्ला उपजिलाधिकारी डुण्डा अध्यक्ष
- 2- श्री आर०बी० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू वन क्षेत्राधिकारी
- 3- श्री संजय लिंगवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़ धरासू क्षेत्राधिकारी
- 4- श्री विजेन्द्र सिंह रावत बी०डी०सी० क्षेत्र चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी वन प्रभाग

सदस्य

सचिव 15-06
सहायक समाज कल्याण
चिन्यालीसौड़ (उत्तर)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम खाण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.525 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खाण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.525 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी)
उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

आज दिनांक 12/6/2014 को चिन्यालीसौड़ से ग्राम खाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री वी०एन० शुक्ला	उपजिलाधिकारी डुण्डा	 वन जमीन विभाग उत्तरकाशी
2	श्री आर०बी० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	 वन जमीन विभाग उत्तरकाशी
3	संजय लिंगवाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़	 सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़
4	श्री बिजेन्द्र सिंह रावत	बी०डी०सी० क्षेत्र चिन्यालीसौड़	 क्षेत्र पंचायत चिन्यालीसौड़

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौर के खण्डगांव से रौतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4.75 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.525 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव
FORM-1

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector-uttarkashi

Dated-19/8/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.525 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of construction division public works deparment...chinyalisour uttarkashi for road construction in uttarkashi district falls within jurisdiction of rountal. village (s) in chinyalisour tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.525 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure
- the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.

(Signature)
District Magistrate-uttarkashi

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of.uttarkhashi..district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/ Indudhar Baurai I.A.S district magistrate uttarkashi on dated .1.9.19.2015..... at uttarkashi. in which application claiming rights in forest land area measuring **1.525. hect** for the construction of khand gaon to Rountal motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of chinyalisaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...uttarkashi.....

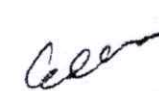
Dated:..19.10.2015

(Indudhar Baurai)

District Magistrate-uttarkashi

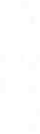
It is cetified that –Minutes of meeting of Khand gaon to Rauntal road
(Length 4.75 Km.) Regarding FRA is as following:-

Sr. no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlemet of rights under the FRA has been carried out the entire 1.525 Het of forest area proposed for diversion.*A cppy of record of all consultaions and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are cnlosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are on habitants belonging to scheduled tribes and tther traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy records attached as are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concernes villages regarding construction of aforesaid Mothr road attached.
(c)	The proposal does not immvolve recogniged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communtites.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to sceduled tribes and other traditional forest dwellers.


 (Indudhar Baurai)
 District Magistrate-in-charge
 District Level Committee
 Uttarkashi

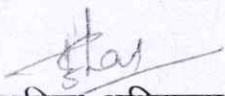
कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति, जिला-उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19/8/2015 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड के ग्राम खाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सन्दर्भ में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति।

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री इन्दुधर बौडाई	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	
2	श्री मदन लाल कोषवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।	
3	श्री विजय बहादुर	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	
4	श्री जितेन्द्र सिंह राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	
5	श्रीमती अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य कन्सेण	
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डेहवाटा	

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली कर नामित बैंक में जमा की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

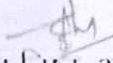


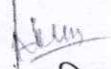
अधिशाली अभियन्ता

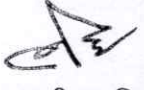
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन हेतु एफ०आर०ए० 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।

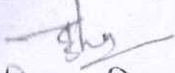

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्मालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्मालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्मालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाने का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



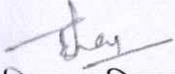
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

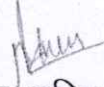
प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

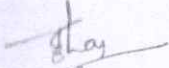


अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार नहीं बदला जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



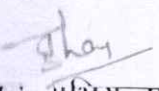
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

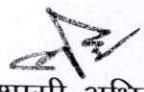
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


सहायक अभियन्ता

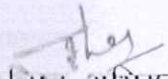
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


अधिशाली अभियन्ता

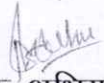
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायगा।


कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


सहायक अभियन्ता

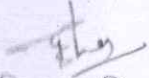
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



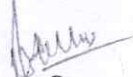
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार परियोजना कार्य को निष्पादन/निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



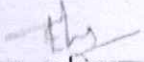
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



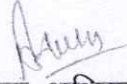
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अधिकरण के पक्ष मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



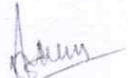
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



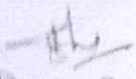
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

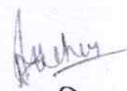


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
विन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
विन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

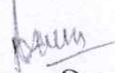

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
विन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अभिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार इस पर कार्यवाही होगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गलीसौड़ (उत्तरकाशी)।



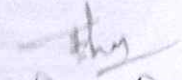
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गलीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गलीसौड़ (उत्तरकाशी)।

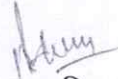
प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार पर्यायवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर विद्यमान शर्त लागू होने का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्मालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्मालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

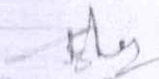


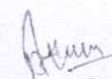
अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्मालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगे कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पीछे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को सप्ताह ब्यास रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका विधायक एवं सुधार कार्य योजनानुसार समायोजित तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की काटाई की अनुमति न होने का अनुपालन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अंतिम जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्मालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्मालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्मालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल- moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT,

FOREST &

CLIMATE CHANGE

INTEGRATED REGIONAL OFFICE,

DEHRADUN

25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू0सी0पी0/06/09/2017/एफ.सी. | 1237

दिनांक: 29/07/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:— जनपद— उत्तरकाशी में चिन्वालीसौड़ के खाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/Road/15527/2015)

सन्दर्भ:— अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या—1301/x-4-16/1(393)/2016 दिनांक 20.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी। -

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी. :), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.07.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार— जनपद— उत्तरकाशी में चिन्वालीसौड़ के खाण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोज्य अभिकरण की लागत पर 3.05 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम डांग खसरा संख्या 1532, 1533 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वाभित्त से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

[Handwritten signature]

1/3 contd..

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
 - (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा न्यायालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.525 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
 - (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 75 वृक्ष एवं 4 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. राज्य सरकार 'खाण्ड' गांव की Village Level Committee proceedings इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।
8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
9. गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्राप्ति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
10. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
12. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलरों द्वारा योगावन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व दिक्कत : हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

सां०आधि०/पुमारी/उत्तरकाशी

आ - का - के०।

Bill Type : Normal

अवधिगत देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम सफा सड़क पॉय भाग -१
(कोड अंकन : आड , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign
Executive Engineer
Construction Division P.W.D.
Chinyalisaur (Uttarkashi)

उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड
कानून

1	0	3
4	1	0
1	0	2
0		

महत्त्व

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण	
मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054) सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिवर्धन
उप मुख्य लेखाशीर्षक -	(04) जिला तथा अन्य सड़कें
तृतीय शीर्षक -	(337) सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03) राज्य रोड
ब्योरेवार शीर्षक -	(04) एनओपीओ का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)
वित्तियर दिनांक	

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

अधिशारी अधिकृत निर्माण सफा सड़क सड़क उत्तराखण्ड

4	2	3	4
---	---	---	---

अधिशारी अधिकृत निर्माण सफा सड़क सड़क उत्तराखण्ड

14- सोर्स कोड : 0

15- रोड कोड :

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि सतान करें)

Project : PR4100423402231004 Payment of NPV and plantation of damaged trees for Khand gaon to rauntal motor road in Chinyalisaur block of district Uttarkashi.
Contract :

वजत की वर्तमान स्थिति

आवृत्ति कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अन्य वजत
6921947	3153137	3768810

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
66- भूमि क्रय	21,33,176
66- देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	21,33,176

OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	21,33,176

व्यय सम्बन्धी विवरण

1/16 FLEB-2023/Mr Uttaraanchal Campa

व्यय समायोजन के बाद

कटौतियां

धनराशि 66-77

धनराशि रू0	अभ्युक्ति
21,33,176	
21,33,176	
-	
21,33,176	

यह देयक प्रपत्र प्रस्तुत किया गया दावा राशि एवं नियमानुसार देयक प्रपत्र में आश्रित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की पूर्णता के लिए प्रमाणित किया गया है।
अहमद वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Executive Engineer
Construction Division P.W.D.
Chinyalisaur (Uttarkashi)

Executive Engineer
Construction Division P.W.D.
Chinyalisaur (Uttarkashi)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

1,176 (Rupees Twenty One Lacs Thirty Three Thousand One Hundred Seventy Six Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

21,33,176

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1/16 FLEB-2023 Mr Uttaraanchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896115527745	2133176	0	0	2133176

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-08-2021

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6115527745
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/09/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	2133176/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Thirty-Three Thousand
One Hundred and Seventy-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UEIN0903710
Pay to Account No.	150896115527745 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-08-2021

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6115527745
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/09/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	2133176/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Thirty-Three Thousand
One Hundred and Seventy-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UEIN0903710
Pay to Account No.	150896115527745 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

E-mail- dm-utt-in@nic.in, Ph.-01374-222101, 222280 Fax-01374-222119, 222121

संख्या: 1956/ग्यारह-विविध

(2019-20)

दिनांक 1 दिसम्बर, 2022

अधिकासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,

चिन्तालीसौड़।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में चिन्तालीसौड़ के खण्ड गांव से रौतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे० नव भूमि का गैर चानिनी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 1161/03 एल०ए० दिनांक 05 सितम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने जनपद उत्तरकाशी में चिन्तालीसौड़ खण्ड गांव से रौतल मोटरमार्ग के निर्माण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर खण्ड गांव से रौतल मोटरमार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खसरा संख्या: 1532/1.983 हे०, 1533/1.339 हे० भूमि स्वीकृति कर हस्तान्तरण करने का अनुरोध किया गया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराया है कि उपरोक्त भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में तहसीलदार, चिन्तालीसौड़/उप जिलाधिकारी, दुण्डा से आख्या मागी गयी, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा अपने पत्र संख्या: 241/2020-क्षतिपूरक वृक्षा०/23021-22 दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटरमार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम डांग वंहील दुण्डा मध्ये खसरा संख्या: 1532/1.983 हे०, 1533/1.339 हे० कुल खचा 3.322 हे० भूमि अब्बल ही भू-अभिलेखों में वर्तमान समय में (श्रेणी-08 जो सरकारी विभागों के अधिकार में है) वन विभाग के नाम दर्ज अभिलेख है।

अतः आप उक्त भूमि की खतौनी सम्बन्धित तहसील में प्राप्त कर उपरोक्त

खसरा के सम्बन्ध में अपने स्तर में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता

01 JAN 2023

जुलिया निर्माकित वन सूनाना प्रियता

लोक निर्माण विभाग

उप जिलाधिकारी, दुण्डा।

उत्तरकाशी।

जयपुरा जयपुरा/वन वन लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

तहसील चिन्तालीसौड़।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

उप जिलाधिकारी, दुण्डा।

उत्तरकाशी।

जयपुरा जयपुरा/वन वन लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

तहसील चिन्तालीसौड़।

जयपुरा जयपुरा/वन वन लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

तहसील चिन्तालीसौड़।

जयपुरा जयपुरा/वन वन लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

तहसील चिन्तालीसौड़।

जयपुरा जयपुरा/वन वन लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

तहसील चिन्तालीसौड़।

जयपुरा जयपुरा/वन वन लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

तहसील चिन्तालीसौड़।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी।